

आईबीबीआई वनियिम, 2017 में संशोधन

हाल ही में भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा भारतीय दवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (शकियात व शकियात प्रबंधन प्रक्रिया) वनियिमन, 2017 तथा भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (नरीक्षण व जाँच) वनियिमन, 2017 में संशोधन किया गया है।

आईबीबीआई वनियिम, 2017

- भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शकियात व शकियात प्रबंधन प्रक्रिया) वनियिमन, 2017:
 - यह दवाला पेशेवरों, दवाला पेशेवर एजेंसियों और उपयोगी सूचना के खिलाफ दायर शकियातों एवं शकियातों के नविवरण के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
- भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (नरीक्षण व जाँच) वनियिमन, 2017:
 - यह दवाला पेशेवर एजेंसियों, दवाला पेशेवरों और उपयोगी सूचनाओं पर नरीक्षण और जाँच करने और अनुशासन समिति द्वारा आदेश पारित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है।

संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

- संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में:
 - वर्तमान तंत्र में देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिये (शकियात व शकियात प्रबंधन प्रक्रिया) वनियिमन, 2017 और (नरीक्षण एवं जाँच) वनियिमन, 2017 में प्रदान की गई प्रवर्तन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न समयसीमा में संशोधन।
 - दवाला पेशेवरों के खिलाफ प्राप्त शकियातों की जाँच के माध्यम से IP को वनियिमित करने में IPAs (Insolvency Professional Agency) की प्रभावी भागीदारी।
 - अनुशासन समिति (DC) के आदेश के परिणाम के बारे में लेनदारों की समिति (CoC)/ नरिणायक प्राधिकरण (AA) को सूचना प्रदान करना।
- संशोधन का कारण:
 - शीघ्र नविवरण किया जा सके और सेवा प्रदाताओं पर अनुचित बोझ डालने से बचा जा सके।

भारतीय दवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड:

- भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना दवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत 1 अक्टूबर, 2016 को हुई थी।
- यह संहिता के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार पारस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा दवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित एवं संशोधित करता है ताकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके। उद्यमशीलता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ ही सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करता है।
- यह एक **अद्वितीय नियामक** है क्योंकि यह पेशे के साथ-साथ प्रक्रियाओं को भी नयित्तरित करता है।
- यह दवाला पेशेवरों, दवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं की **नियामक नगिरानी** करता है।
- इसे देश में मूल्यांकनकर्त्ताओं के पेशे के वनियिमन और विकास के लिये **पंजीकृत मूल्यांकनकर्त्ता एवं मूल्यांकन नियम, 2017 के तहत 'प्राधिकरण'** के रूप में भी नामित किया गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

